7

(16)

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग–10
संख्याः 200/6–पु0–10–2009–27(7)/08
लखनऊ–दिनाकः 02 अप्रैल, 2009

विषयः आरक्षी/ आरक्षी पी0ए0सी0/ उपनिरीक्षक ना0पु0/ प्लाटून कमाण्डर व अन्य इकाईयों के अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती तथा मुख्य आरक्षी उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक स0पु0 तथा निरीक्षक के पदों पर व अन्य ईकाइयों के अराजपत्रित पदों के विभागीय प्रोन्नति हेतु पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन के संबंध में निर्गत आदेश दिनांक 02.12.2008 में संशोधन।

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्याः1256/6–पु0–10–08–27 (7)/08,दिनांक 02.12.2008 में कतिपय संशोधन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत स्तम्भ(2) में की गयी व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ(3) में की गयी व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

प्रस्तावना /प्रस्तर	शासनादेश की व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन
प्रस्तावना	उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस(पुरूष/महिला) /आरक्षी पी0ए0सी0, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती एवं मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस तथा निरीक्षक के पदों पर चयन एवं विभागीय प्रोन्नति के विगत अनुभवों एवं न्यायालीय संवीक्षणों को देखते हुए यह कार्यकारी आदेश पुलिस एक्ट की धारा–2 सपठित धारा 46(2) के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त कार्यकारी आदेश एवं शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त, उक्त पदों पर चयन हेतु एतद्द्वारा निम्नवत पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।	उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी/आरक्षी पी0ए0 सी0,उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती एवं मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस तथा निरीक्षक के पदों पर चयन एवं विभागीय प्रोन्नति के विगत अनुभवों एवं न्यायालीय संवीक्षणों को देखते हुए यह कार्यकारी आदेश पुलिस एक्ट की धारा–2 सपठित धारा 46(2) तथा युनाइटेड प्रोविन्सेज प्रादेशिक आर्म्ड कांन्सटेबुलरी एक्ट 1948 (यू0पी0 एक्ट न0–40 आफ 1948) धारा–15 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त कार्यकारी आदेश एवं शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त, उक्त पदों पर चयन हेतु एतद्द्वारा निम्नवत पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

Add Secy (D)

HC

Chairman

Add Secy (P)

1(ii)	**सदस्य/सचिव एवं अपर सचिव–** सचिव,पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पद पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी,और उसकी पर्याप्त सेवा अनयून तीन वर्ष बाकी हो। पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी तथा दो अपर सचिव के रूप में कार्यरत पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होगें। जिसमें से एक अपर सचिव भर्ती का कार्य एवं एक अपर सचिव प्रोन्नति के कार्यो का संचालन करेगें। इसी प्रकार सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी। अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त एक और पूर्ण कालिक सदस्य किसी अन्य सेवा से राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है।	**सदस्य/सचिव एवं अपर सचिव–** सचिव,पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पद पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी,और उसकी पर्याप्त सेवा अन्यून तीन वर्ष बाकी हो। पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी तथा दो अपर सचिव के रूप में कार्यरत पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी **के अतिरिक्त एक और पूर्णकालिक सदस्य किसी अन्य सेवा से राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है।** जिसमें से एक अपर सचिव भर्ती का कार्य एवं एक अपर सचिव प्रोन्नति के कार्यों का संचालन करेगें। इसी प्रकार सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी। अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त एक और पूर्ण कालिक सदस्य किसी अन्य सेवा से राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है।
2(iii)(ग) **पुलिस विभाग के अन्य अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती**	**पुलिस विभाग के अन्य अरापत्रित पदों पर सीधी भर्ती** पुलिस विभाग की विभिन्न ईकाइयों के अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के जो मामलें संदर्भित किये जाये उनके संबंध में संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई जायेगी।	**पुलिस विभाग के अन्य अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती** पुलिस विभाग की विभिन्न ईकाइयों के **(उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 एवं उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवानियमावली,2002 की व्यवस्था को छोड़कर)** अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के जो मामलें संदर्भित किये जायें उनके संबंध में संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई जायेगी।

2(iv)(क)	मुख्य आरक्षी ना0पु0/मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 के पद पर प्रोन्नति मुख्य आरक्षी,ना0पु0/मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 के पद पर 100 प्रतिशत प्रोन्नतियां विभागीय प्रतियोगिता के माध्यम से की जायेगी। यह पदोन्नति सेवा नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न कराई जायेगी।	मुख्य आरक्षी ना0पु0/मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 के पद पर प्रोन्नति मुख्य आरक्षी,ना0पु0 के पदों पर पदोन्नति उ0प्र0 नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली,2008 तथा मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर पदोन्नति उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 में की गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न/पूर्ण कराई जायेगी।
2(iv)(घ)	पुलिस विभाग के अन्य समूह''ख'' पदों पर पदोन्नति के जो मामलें विभिन्न इकाईयों द्वारा संदर्भित किये जाये उनके संबंध में संगत सेवा नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जायेगी।	पुलिस विभाग के अन्य समूह ''ख'' (अराजपत्रित) पदों पर पदोन्नति के जो मामलें विभिन्न इकाईयों द्वारा संदर्भित किये जायें उनके संबंध में संगत सेवा नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
2(v)	पुलिस महानिदेशक कार्यालय से रिक्तियों का अधियाचन प्राप्त होने पर भर्ती संबंधी विज्ञापन,ओ0एम0 आर0 आवेदन पत्र तैयार कराना, डिस्पैच कराना, काल लेटर डिस्पैच कराना, जनपदों में जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के सहयोग से फिजिकल स्टैण्डर्ड टेस्ट,फिजिकल इफीसेंसी टेस्ट, मेडिकल परीक्षा कराना,लिखित परीक्षा–ओ0एम0 आर0 प्रश्नशीट की छपाई,डिस्पैच प्रश्नपत्रों की तैयारी करना,छपवाना, प्रश्नपत्रों को वापस मुख्यालय मंगवाना,उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना,इस प्रकार काल लेटर से लेकर परिणाम घोषित करने तक की समस्त कार्यवाही बोर्ड का दायित्व होगा।	पुलिस महानिदेशक कार्यालय से रिक्तियों का अधियाचन प्राप्त होने पर भर्ती संबंधी विज्ञापन,ओ0एम0 आर0 आवेदन पत्र तैयार कराना, डिस्पैच कराना, काल लेटर डिस्पैच कराना, जनपदों में जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के सहयोग से फिजिकल स्टैण्डर्ड टेस्ट,फिजिकल इफीसियेन्सी टेस्ट, मेडिकल परीक्षा कराना,लिखित परीक्षा–ओ0एम0 आर0 प्रश्नशीट की छपाई,डिस्पैच प्रश्नपत्रों की तैयारी कराना,छपवाना, प्रश्नपत्रों को वापस मुख्यालय मंगवाना,उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना आदि, इस प्रकार काल लेटर से लेकर परिणाम घोषित करने तक की समस्त कार्यवाही बोर्ड का दायित्व होगा।

2(ix)(ख)	इस प्रस्तर के अन्त में यह नया बिन्दु जोड़ दिया जायेगा।	बिन्दु–11 परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पोस्ट आफिस/बैंक के माध्यम के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
3(ख)	बोर्ड का यह दायित्व होगा कि वह पुलिस विभाग के अन्तर्गत आरक्षी ना0पु0/ आरक्षी पी0ए0सी0 तथा उपनिरीक्षक, ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0,आरक्षी चालक,मुख्य आरक्षी एम0 टी0,उपनिरीक्षक एम0टी0, आरमोरर,माउण्टेंड पुलिस, डिस्पैच राइडर,लिपिक संवर्ग, **रेडियो शाखा,** फायर सर्विस की आरक्षित/ अनारक्षित श्रेणीवार रिक्तियों आदि का संज्ञान लेते हुए भर्ती संबंधी अधियाचन के आधार पर भर्ती/पदोन्नति करने की कार्यवाही की जायेगी।	बोर्ड का यह दायित्व होगा कि वह पुलिस विभाग के अन्तर्गत आरक्षी ना0पु0/आरक्षी पी0ए0 सी0 तथा उपनिरीक्षक ना0पु0 /प्लाटून कमाण्डर पी0ए0 सी0,आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी एम0टी0,उपनिरीक्षक एम0 टी0, आरमोरर, माउण्टेंड पुलिस,डिस्पैच राइडर, लिपिक संवर्ग,फायर सर्विस की आरक्षित/ अनारक्षित श्रेणीवार रिक्तियों आदि का संज्ञान लेते हुए भर्ती संबंधी अधियाचन के आधार पर भर्ती/पदोन्नति करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त आदेश संख्याः1256/6–पु0–10–2008–27(7)2008 दिनांक 02–12–2008 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

कुवॅर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव।

संख्याः 200/6–पु0–10–2009,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ।
2– अध्यक्ष,उ0प्र0 पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड।
3– अपर पुलिस महानिदेशक,पी0ए0सी0,लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
5– गृह विभाग के समस्त अधिष्ठांन अनुभाग।

आज्ञा से,
(आर0पी0 मिश्र)
विशेष सचिव।